संख्या 17/जी०अनु०/कार्मिक–2/2003

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह रावत,
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव /सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

2. समस्त विभागाध्यक्ष/
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष ।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक: 03 जून, 2003

विषय : विकलांग व्यक्तियों को होरिजेन्टल आरक्षण के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 825/का–2/2002 दिनांक 25–06–2002 एवं संख्या 108/एम0एम0/का–2/2002 दिनांक 31–12–2002 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें । इन शासनादेशों द्वारा विकलांग व्यक्तियों को अनुमन्य क्षैतिज आरक्षण दिये जाने के लिए ऐसे पदों को चिन्हित करने की अपेक्षा की गयी थी, जिन पर (क) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि (ख) श्रवणह्रास अथवा (ग) चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्त या प्रमस्तिष्कीय अंगघात से ग्रसित विकलांग व्यक्ति को नियुक्ति दी जा सके ।

2. आपको अवगत कराना है कि निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995{The persons with disabilities (Equal opportunities Protection of right and full participation) Act,1995 } के अध्याय 6 में निम्नलिखित प्रावधान है :–

32. Appropriate Governments shell-

(a) Identify posts in the establishments, which can be reserved for, with disability :

(b) at periodical intervals not exceeding not exceeding three years, review the list of posts identified and up-date the list taking into consideration the developments in technology.

33. Every appropriate Government shall appoint in every establishment such percentage of vacancies not less than three per cent, for persons suffering from–

(i) blindness or low vision:
(ii) hearing impairment:
(iii)locomotors disability or cerebral palsy,

in the posts identified for each disability:

Provided, that the appropriate Government may, having regard to the type of work carried on in any department or establishment, by notification subject to such conditions, if any, as may be specified in such notification, exempt any establishment from the provisions of this section.

उक्त प्रावधानों के क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए शासन के प्रत्येक विभाग में ऐसे पदों का चिन्हांकन तत्परता से किया जाना आवश्यक है, जिन पर उक्त तीन प्रकार की विकलांगता में से किसी एक प्रकार की विकलांगता से ग्रसित व्यक्ति को नियुक्ति दिये जाने के लिए पदों को आरक्षित किया जा सके । अभी तक जो सूचनायें विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, उनमें विभागों के कार्यालयों में रिक्त पद अथवा विकलांग व्यक्तियों से भरे पदों की संख्या सूचित की गयी है । विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना विकलांग व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए पदों के चिन्हांकन के लिए निरर्थक है । पदों के चिन्हांकन में हो रहे विलम्ब के कारण विकलांग व्यक्तियों को अनुगम्य आरक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यक अधिसूचना निर्गत करना सम्भव नहीं हो पा रहा है ।

3. निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भगीदारी) अधिनियम 1995 में उक्त तीनों प्रकार की विकलांगता जिस रूप में परिभाषित है उसको इस शासनादेश के साथ संलग्न किया जा रहा है ।

4. मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के सभी विभाग विकलांग व्यक्तियों को नियुक्ति दिये जाने योग्य पदों का चिन्हांकन तत्परता से सुनिश्चित करके विभाग की संकलित सूचना संलग्न प्रारूप पत्र पर कार्मिक विभाग को विलम्बतम 30 जून, 2003 तक उपलब्ध करायें । प्रारूप पत्र में जिस विकलांगता के व्यक्ति की नियुक्ति के लिए जो पद चिन्हित किये जायें स्तम्भ 7 में (क), (ख), (ग) उस पद की पंक्ति में अंकित किया जाये । यदि प्रवेशस्तर का कोई पद तीनों प्रकार की विकलांगता में से किसी एक प्रकार की विकलांगता से ग्रसित व्यक्ति को नियुक्ति दिये जाने के लिए चिन्हित नहीं किया जा सकता, तब प्रारूप के स्तम्भ 7 में (घ) पर उल्लेख किया जाये ।

5. कृपया उपरोक्त पद चिन्हांकन की कार्यवाही निर्धारित समय के अन्दर प्रभावी से कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव ।

प्रारूप पत्र

विभाग का नाम :

विकलांगतायें:
(क)दृष्टिहीनता
(ख)श्रवणह्रास
(ग)चलन क्रिया

क्र0स0	विभाग में प्रवेश स्तर के पदों का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या	पद दायित्व	शैक्षिक व अन्य अर्हतायें	विकलांगता जिसके लिए चिन्हित किया जा सकता है ।
1	2	3	4	5	6	7

हस्ताक्षर:
शासन के सचिव/अपर सचिव
विभाग :

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1997 के अनुसार:–

"दृष्टिहीनता" ऐसी परिस्थिति को निर्दिष्ट करता है, जहाँ कोई व्यक्ति निम्नलिखित दशाओं में से किसी से ग्रसित हो, अर्थात्:–

(एक) दृष्टिगोचरता का पूर्ण अभाव; या

(दो) सुधारक लेंसों के साथ बेहतर आँख में 6/60 या 20/200 (स्नेलिन) से अनधिक दृष्टि की तीक्ष्णता; या;

(तीन) जिसकी दृष्टि क्षेत्र की सीमा 20 डिग्री के कोण के कक्षान्तरित होना या अधिक खराब होना;

"प्रमस्तिष्क अंगघात" का तात्पर्य विकास की प्रसव पूर्व, प्रसवकालीन या शैशव काल में होने वाले मस्तिष्क के तिरस्कार या क्षति से पारिणामिक असामान्य प्रेरक नियन्त्रण स्थिति के लक्षणों से युक्त व्यक्ति की अविकासशील दशाओं के समूह से है ।

"श्रवण ह्रास" का तात्पर्य संवाद सम्बन्धी रेंज की आवृत्ति में बेहतर कर्ण में साठ डेसीबल या अधिक की हानि से है;

"चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता" का तात्पर्य हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की ऐसी निःशक्तता से है जिससे अंगों की गति में पर्याप्त निबन्धन या किसी प्रकार का प्रमस्तिष्क अंगघात हो;